चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 02.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे व उनकी टीम द्वारा मु0न0 142/2022 मु0अ0स0 95/2020 धारा 380/411 भादवि के वारंटी अभियुक्त राजनारायण पुत्र स्व मोतीलाल निवासी डांडी चमरौडी मजरा चुरेहकेशरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे

2. आरक्षी अजीजउद्दीन

(3). अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा जनसुनवाई/आईजीआरएस का कार्य देख रहे समस्त थानों के पुलिस कर्मियों के साथ जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के सम्बन्ध में मीटिंग की गयी । अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि जनसुनवाई/आईजीआरएस पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री की महात्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है । इस पोर्टल पर प्राप्त जनसमस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है तथा जनपद एवं थाना स्तर पर फीडबैक में सुधार के संबंध में भी निर्देशित किया गया । आईजीआरएस/जनसुनवाई की निस्तारण हेतु शासन द्वारा समय निर्धारित किया गया है, शासन के द्वारा दिये गये समय के अन्दर आईजीआरएस/जनसुनवाई को पोर्टल पर अपलोड करें ताकि जनपद की रैंकिंग में सुधार हो। आईजीआरएस/जनसुनवाई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं के प्रति नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना है, इस प्रणाली से नागरिकों को उनकी शिकायते दर्ज करने,ट्रैप करने और समाधान प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली शासन/पुलिस के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सहायक है। इस प्रणाली से पुलिस के कार्यशैली में भी बदलाव आया है । इसमें सीएम,डीआईजी,आईजी,डीएम व अन्य कई सन्दर्भ होते है जिसकी अलग अलग समय शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।

इस दौरान प्रभारी आईजीआरएस अशोक कुमार यादव व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). आज दिनांक 05.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कांत राय द्वारा महिला थाना, साइबर थाना एवं क्राइम ब्रांच के समस्त विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। इस दौरान लंबित विवेचनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अर्दली रूम के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से निर्देशित किया गया-

लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण,महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों तथा पॉक्सो अधिनियम के प्रकरणों में संवेदनशीलता बरतते हुए नियमानुसार त्वरित एवं प्रभावी विवेचनात्मक कार्रवाई,साइबर अपराध संबंधी प्रकरणों में तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्यों का समुचित संकलन कर अपराधियों की पहचान एवं उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई, हत्या, लूट, चोरी, धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों की लंबित विवेचनाओं को प्राथमिकता देते हुए साक्ष्य के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने तथा विवेचना के दौरान वैज्ञानिक, तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का नियमानुसार संकलन करते हुए विवेचना को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के निर्देश दिए गए। वांछित/फरार

अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभावी प्रयास करने तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करने एवं न्यायालयीय कार्यवाहियों का समयबद्ध अनुपालन, पीड़ितों से नियमित संवाद,विवेचना में लापरवाही न बरतने,अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिये गये।

अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा समस्त विवेचकों को निर्देशित किया गया कि लंबित विवेचनाओं का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करते हुए पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता हो। साथ ही अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

(5). आज दिनांक 05.08.2026 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में अशोक पब्लिक स्कूल खोह कर्वी चित्रकूट में मुझ प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस थाना एवं टीम द्वारा साइबर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें सभी छात्र/छात्राओं व अध्यापक गणों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जानकारी दी गयी एवं छात्र/छात्राओं के साइबर अपराध के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों का निस्तारण किया गया ।

- किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीपी नम्बर न बताये ।
- एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करे व किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें ।
- डिजिटल अरेस्ट के सम्बन्ध में जागरुक किया गया ।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0, फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी भी न दें।
- बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट, दीपावली ऑफर, कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें।
- किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से विभिन्न ग्रुप में ट्रेडिंग के लिये लिंक के माध्यम से भेजे गये ऐप को डाउनलोड कर गेमिंग के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कर लाभ कमाने जैसे फ्राड के बारे में जागरुक किया गया ।
- कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें।
- फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें।
- पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें।
- साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

जागरुकता कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले अधि0/कर्म0-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष तिवारी
2. क0आ0ग्रेड बी श्याम लाल गुप्ता

3. आरक्षी शिवम द्विवेदी

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी आरिफ द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा दिनांक आज 05.08.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2024 धारा 302,120बी भादवि0 के आरोपी अभियुक्ता सविता पत्नी स्व0 रामबाबू निवासी फाटापुरवा मजरा रसिन थाना भरतकूप जनपदव चित्रकूट एवं अभियुक्त 1. बरकत अली,अफजल उर्फ फैजल निवासीगण टिकुरीपुरवा जनपद बांदा को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.02.2024 को वादी रामशरण सिंह पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासी फाटापुरवा मजरा रसिन थाना भरतकूप द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके पुत्र रामबाबू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 22/24 धारा 302 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा संपादित की गई। विवेचना से प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी का बदौसा जनपद बांदा निवासी एक नाबालिक से प्रेम प्रसंग था जिसकी जानकारी पति रामबाबू को हो गई थी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। पत्नी द्वारा अपने नाबालिक प्रेमी एवं बरकत अली,अफजल उर्फ फैजल निवासीगण टिकुरीपुरवा जनपद बांदा के साथ मिलकर पति की गोली मारकर हत्या करा दी। विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्तों को दिनांक 27.02.2024 को गिरफ्तार कर, दिनाँक 21.05.2024 को आरोप पत्र मा0न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार व उनकी टीम द्वारा डकैती सहित हत्या के वाँछित 25,000/- रुपये के इनामी अपराधी छोटकू पुत्र मोहर्रम निवासी नट का डेरा कुर्मीन का पुरवा जलौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.11.2024 को सूचना प्राप्त हुई की ग्राम कसहाई में छात्रा की हत्या हो गयी है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 705/2024 धारा 333/103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, क्षेत्राधिकारी नगर, थाना कोतवाली कर्वी एवं फील्ड यूनिट की पुलिस टीम द्वारा मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 05 टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु उचित दिशा निर्देश दिया गया । विवेचना के क्रम में प्रभारी निरीक्षक व एसओजी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना से उक्त घटना के अज्ञात अभियुक्त नटों द्वारा घटना कारित किये जाने का तथ्य प्रकाश में आया । इसी क्रम में पुलिस द्वारा अगल बगल नटों के डेरों में पूछंताछ के दौरान चशमदीद 07 वर्षीय बच्चें शाहीद उर्फ अब्बे पुत्र सादिक उर्फ खरहा के बयान से 1. गुड्डु 2. छुटकू पुत्रगण मोहर्रम 3. इरफान पुत्र नवी निवासीगण कुर्मिन का पुरवा 4. शरीफ उर्फ इक्यहवा निवासी जजौली थाना करारी 5. रहीस निवासी बहादुरपुर थाना करारी जिला कौशाम्बी का नाम प्रकाश में आया जो मृतका मुस्कान की हत्या कर आभुषण एवं रूपये सहित अन्य सामाग्री लूट कर भाग गये थे। जिसके क्रम में एसओजी व थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया

गया। अभियुक्तों के कब्जे से माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) की लोप करते हुए 310(3)317(3) बीएनएस की बढोतरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा गिरफ्तारी हेतु शेष वाँछित अभियुक्त छोटकू पुत्र मोहर्रम निवासी नट का डेरा कुर्मीन का पुरवा जलौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी की गिरफ्तारी हेतु 25000/- रुपए का इनाम घोषित किया था।

दिनाँक 04.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा पुणे महाराष्ट्र से शेष वाँछित 25,000/- रुपये के इनामी अपराधी छोटकू पुत्र मोहर्रम निवासी नट का डेरा कुर्मीन का पुरवा जलौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार

2.मुख्य आरक्षी इकरार अहमद

3.आरक्षी धर्मेंद्र सिंह

4.आरक्षी शिवम यादव

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश कुमार प्रजापति एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 05.08.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 107/2012 धारा 323,325,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राहुल तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद निवासी रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 700/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री राम सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अवधेश कुमार शुक्ला द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 05.08.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 23/18 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त आशीष तिवारी पुत्र त्रिभुवन तिवारी निवासी लाखापुर नियामताबाद थाना अलीनगर जनपद चंदौली को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।